दिनांक-09.02.2017 को अपराह्न 4.00 बजे मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की कार्यवाही:-

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रावधान 2.4ए के तहत् समिति के समक्ष प्राप्त आवेदनों के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक दिनांक-09.02.2017 का सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारियों ने भाग लिया:-

1. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
2. प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग।
3. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।
4. प्रधान सचिव, कृषि विभाग।
5. प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग।
6. प्रधान सचिव, गृह विभाग।
7. प्रधान सचिव, वित्त विभाग।
8. सचिव, विधि विभाग।
9. अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
10. अपर सचिव, उद्योग विभाग।
11. अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग।
12. संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
13. अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

सचिव-सह-विधि परामर्शी द्वारा समिति को सूचित किया गया कि विभिन्न विभागों के कर्मियों द्वारा इस समिति के विचारार्थ कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन अभ्यावेदनों की विवरणी एवं इस संबंध में समिति द्वारा लिये गये निर्णय की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	आवेदक का दावा एवं पक्ष	संबंधित विभाग का पक्ष एवं समिति का निर्णय
1	* श्री अवध प्रसाद, से0नि0 प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं अन्य। * आवेदक के अनुसार सा0प्र0 विभाग द्वारा निर्गत आदेश सं0-300 एवं 301 दिनांक-17.07.2015 एवं पत्रांक-331 एवं 332 दिनांक-10.08.2015 के माध्यम से सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के 35 कर्मियों को कनीय के समतुल्य वेतन संरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा सहमति देने के क्रम में सा0प्र0 विभाग को परामर्श दिया गया कि यदि किसी अन्य कर्मी का वेतन संरक्षण का मामला बनता है तो समेकित रूप से प्रस्ताव दिया जाय। इस संबंध में आवेदक एवं अन्य द्वारा समरूप वेतन संरक्षण प्रदान किये जाने का अनुरोध करते हुए दिनांक-29.07.2015 एवं 08.05.2015 को एक अभ्यावेदन प्रधान सचिव, सा0प्र0 विभाग को समर्पित किया गया है। एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उक्त आवेदन पर अब	* प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा आवेदक एवं अन्य के द्वारा किये गये दावों के संबंध में समिति को बताया गया कि वेतन संरक्षण प्रदान किये जाने हेतु आवेदक एवं अन्य द्वारा जिन सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के 35 कर्मियों का उल्लेख किया गया है उन्हें वह लाभ संबंधित नियमों के प्रतिकूल भूतलक्षी प्रदान किया गया है। **इस संबंध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि सा0प्र0 विभाग द्वारा निर्गत आदेश सं0-300 एवं 301 दिनांक-17.07.2015 एवं पत्रांक- 331 एवं 332 दिनांक 10.08.2015 के माध्यम से सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के 35 कर्मियों को कनीय के समतुल्य वेतन संरक्षण की सुविधा सुसंगत नियमों के प्रतिकूल**

	तक कार्रवाई नही किया गया है।	भूलवश प्रदान किया गया है अतएव उन्हे अब तक दिये गये वित्तिय लाभ की वसूली नहीं करने की शर्त्त के साथ उपरोक्त पत्रांक के द्वारा दिये गये वेतन संरक्षण के लाभ को वापस ले लिया जाय। साथ ही आवेदक एवं अन्य की मांग को समिति द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकृत करने का भी निर्णय लिया गया। अस्वीकृत।
2	* डॉ0 (श्रीमती) विनोद कुमारी शर्मा, से0नि0 क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा। * आवेदन के अनुसार उनकी सेवा दिनांक-03.05.1983 को 12 वर्ष एवं दिनांक-03.05.1995 को 24 वर्ष पूरी हो चुकी है एवं उनकी सेवा में कोई टूट नहीं है। * उक्त के आलोक में आवेदिका द्वारा दिनांक-09.08.1999 के प्रभाव से 12/24 वर्ष की सेवा पर **प्रथम तथा द्वितीय वित्तीय उन्नयन** क्रमशः वेतनमान ₹ 10000-325-15200/- एवं वेतनमान 12000-375-16500/- में स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।	* प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समिति को अवगत कराया गया है कि दिनांक-14.02.2017 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें आवेदिका को वित्तिय उन्नयन का लाभ प्रदान कर दिया जायेगा। **इस संबंध में समिति द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया कि आवेदिका को वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आवेदिका को इस संबंध में सूचित भी किया जाय। निष्पादित।**
3	* श्री राज कुमार, वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, अग्नेयास्त्र प्रशाखा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला। * आवेदन के अनुसार आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि वरीय वैज्ञानिक पदा0, अग्नेयास्त्र प्रशाखा के पद पर उनकी नियुक्ति उक्त पद पर हुए विज्ञापन की तिथि 04.02.2010 की तिथि से मानते हुए उनकी वरीयता उक्त तिथि के अधीन निर्धारित की जाय एवं उक्त तिथि से ही 5 वर्षों की कालावधि की गणना करते हुए उन्हें दिनांक- 04.02.2015 से **उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति** दी जाय। * उक्त के संदर्भ में आवेदक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-7514, 7515/2015 मामले में पारित आदेश का उल्लेख किया गया है।	* प्रधान सचिव, गृह विभाग द्वारा इस संबंध में समिति को बताया गया कि आवेदक द्वारा किये गये दावे के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग से मंतव्य प्राप्त किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बताया गया कि कालावधि का अभिप्राय निम्नतर वेतनमान वाले पद पर प्राप्त कार्य अनुभव से है एवं इसका निर्धारण पदभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगा। श्री राज कुमार ने दिनांक-22.06.2012 को पदभार ग्रहण किया है। अतः उनकी कालावधि की गणना इसी तिथि से की जाएगी। **समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि अभ्यावेदक श्री राज कुमार के यह दावे कि वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, आग्नेयास्त्र प्रशाखा के पद पर उनकी नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन की तिथि दिनांक-04.02.2010 से उनकी**

9/2/17

		वरीयता की गणना करते हुए उप निदेशक के पद पर प्रोन्नति दी जाय, न्यायोचित नहीं है। अत: उनके दावा को समिति द्वारा अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। अस्वीकृत।
4	* श्री शैलेश कुमार, स्टाफ, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, सारण, छपरा। * पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागीय अधिसूचना सं0-3307 दिनांक-04.09.15 एवं अधिसूचना सं0- 3308 दिनांक-04.09.15 द्वारा आवेदक को दिए गए प्रथम रूपान्तरित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति को रद्द करने एवं अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का आदेश पारित किया गया। **उक्त आदेश को निरस्त करने** का अनुरोध आवेदक द्वारा किया गया हैं।	* अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा समिति को बताया गया कि आवेदक के द्वारा अपने दावों के संबध में एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा किसी आदेश की आलोक में विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। **इस संबंध में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि आवेदक का मामला वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है। अतएव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतिक्षा की जाय।**
5	श्री बालमिकी लाल, से0नि0 आप्त सचिव, गृह विभाग। * आवेदन के अनुसार उनकी नियुक्ति की तिथि की गणना उनके आशुटंकक के पद पर नियुक्ति की तिथि दिनांक-20.01.1972 से करते हुए कालबद्ध वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाय। * तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-1333 दिनांक-13.12.1986 के द्वारा (उनके आशुलिपिक वर्ग-2 के पद पर नियुक्ति की तिथि 26.08.1976 को आधार मानकर) 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक-26.08.1986 से **प्रथम कालबद्ध वित्तीय उन्नयन** एवं 24 वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर पत्रांक-10288 दिनांक 11.10.2006 द्वारा दिनांक-26.08.2000 से **द्वितीय वित्तीय उन्नयन** का लाभ दिया गया है।	* आवेदक के संबंध में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समिति को बताया गया कि विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-11.01.2016 की बैठक में आशुलिपिक वर्ग-2 के पद पर नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना कर अनुमान्य वित्तिय उन्नयन की स्वीकृति आवेदक को दी जा चुकी है। साथ ही संविलियन द्वारा निजी सहायक के पद पर नियुक्त कर्मियों को आशुटंकक के पद में सेवा की गणना कर कालबद्ध प्रोन्नति दिय जाने से संबंधित मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। **अतएव उक्त स्थिति में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत आवेदक के दावा को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। अस्वीकृत।**
6	* मो0 शाहिद अख्तर, लेखापाल, सारण कोषागार, छपरा। * आवेदन के अनुसार आवेदक की मांग है कि वे वेतनमान ₹ 5000-8000/- में कार्यरत कोषागार लेखा लिपिक है इसलिए उन्हें वित्त विभागीय पत्रांक-163 दिनांक-08.01.2016 के आलोक में बिहार लेखा सेवा संवर्ग के मूल कोटि के वेतनमान ₹ 6500-10500/- एवं 20 वर्ष की सेवा के उपरांत द्वितीय वित्तीय उन्नयन वेतन	* प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि वित्त विभागीय पत्रांक-8057 दिनांक 07.10.16 के अनुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत बिन्दुओं पर वित्त विभागीय संबंधित कार्यालय/शाखा के द्वारा रखे गए तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा की गयी वेतनमान (₹ 5000-8000/- की मांग एवं वित्त विभागीय संकल्प सं0-

	बैण्ड 9300-34800/- ग्रेड पे0-5400/- में दिया जाय। इस हेतु **वित्त विभागीय पत्रांक-2856 दिनांक-06.04.2016 को निरस्त किया जाय।**	163 दिनांक-08.01.2016 के आधार पर ए0सी0पी0 के तहत् वित्तीय उन्नयन की मांग का औचित्य नही बनता है। वित्त विभाग के अनुसार आवेदक कोषागार संवर्ग के लिपिक नही है, फलस्वरूप उन्हे ₹ 4000-6000/- का वेतनमान ही देय है। **उक्त तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा आवेदक की मांग अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। अस्वीकृत।**
7	* श्री अजीत कुमार सिन्हा एवं संजय कुमार सिन्हा, नियोजन पदाधिकारी। * आवेदक एवं अन्य के अनुसार श्रम संसाधन विभाग के पत्रांक-1936 दिनांक-16.06.10 के द्वारा उनकी वेतन का निर्धारण 36वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सदृश्य की गई है। इस आलोक में वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग के पत्रांक-1802(22) दिनांक-22.09.10 के द्वारा अप्रैल 1992 से उनकी सेवा मूल कोटि के वेतनमान में निर्धारित करते हुए वेतन पूर्जा निर्गत किया गया है। इस आधार पर उनके द्वारा सेवा में योगदान की तिथि 16.10.09 के प्रभाव से वेतनादि का भुगतान प्राप्त किया जा रहा है। इस आलोक में आवेदक एवं अन्य की मांग है कि मूल कोटि के वेतनमान में **12 वर्षों की लगातार सेवा पूरी कर चुके अन्य सदृश्य पदा0 की भांति उन्हें प्रथम सुनिश्चित वृति उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाए।** * ज्ञातव्य हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-13431 दिनांक-22.12.2008 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में एल0पी0ए0 सं0-692/99 एवं उससे उत्पन्न एम0जे0सी0 सं0-1938/2000 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश एवं बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-864 दिनांक-08.04.2004 द्वारा 36वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों का संशोधित अनुशंसित सूची के उक्त अभ्यर्थियों को विभागीय अधिसूचना सं0-295 दिनांक-15.10.09 द्वारा बिहार नियोजन सेवा संवर्ग में नियोजन पदा0 के पद पर वेतनमान ₹ 6500-200-10500/- में योगदान की तिथि से अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है।	* प्रधान सचिव वित्त विभाग के द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि नियमानुसार 12 वर्ष की सेवावधि पूरी होने पर ही प्रथम ए0सी0पी0 देय होगा न कि सैद्धांतिक रूप से की गयी सेवावधि के आधार पर। प्रधान सचिव, वित्त विभाग के अनुसार मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव (ज्ञापांक-11294 दिनांक-21.10.2008) में लिये गये निर्णय के तहत् आवेदकों को ए0सी0पी0 दिये जाने का निर्णय नहीं लिया गया था। **समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत एवं प्रधान सचिव, वित्त विभाग के तथ्यों पर सहमति प्रकट करते हुए आवेदक एवं अन्य को ए0सी0पी0 प्रदान किये जाने से संबंधित मांग को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। अस्वीकृत।**

8	* श्री दयानंद महतो, से0नि0 प्रधान आप्त सचिव। * आवेदन के अनुसार उनकी नियुक्ति की तिथि की गणना उनके आशुटंकक के पद पर नियुक्ति की तिथि दिनांक-12.05.1973 से करते हुए **द्वितीय कालबद्ध वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाय।**	* आवेदक के संबंध में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समिति को बताया गया कि विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-11.01.2016 को बैठक में आशुलिपिक वर्ग-2 के पद पर नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना कर अनुमान्य वित्तिय उन्नयन की स्वीकृति आवेदक को दी जा चुकी है। साथ ही संविलियन द्वारा निजी सहायक के पद पर नियुक्त कर्मियों को आशु टंकक के पद से सेवा की गणना कर कालबद्ध प्रोन्नति दिये जाने से संबंधित • मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। **अतएव उक्त स्थिति में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत आवेदक के दावे को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। अस्वीकृत।**
9	* डा0 ललन प्रसाद यादव, से0नि0 एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान विभाग, राजेन्द्र कॉलेज छपरा। आवेदक के द्वारा सेवांत लाभ के भुगतान हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। * आवेदक को दिनांक-28.08.1976 के आधार पर 24 वर्षों की सेवा पूरी करने के आधार पर कार्मिक विभाग के आदेश सं0-10278 दिनांक-11.10.2006 द्वारा दिनांक-28.08.2000 के प्रभाव से द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया गया है। *** आवेदक द्वारा आशुटंकक (योगदान की तिथि दिनांक-12.05.1973) के आधार पर सेवा की गणना कर 09.08.1999 के प्रभा से द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।**	* प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा समिति को बताया गया कि आवेदक के दावे के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई हेतु जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा को विभागीय पत्रांक-1456 दिनांक-22.09.16 एवं स्मार पत्र-1797 दिनांक-21.12.16 के माध्यम से आवश्यक निदेश दिये गये है; जिस पर कृत कार्रवाई का सूचना अप्राप्त है। साथ ही प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि आवेदक का मामला मूलरूप से जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा से संबंधित है। इस शिकायत के निष्पादन हेतु यह फोरम सही नही है। **अतएव समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को उनके दावे के निष्पादनार्थ सही फोरम में आवेदन करने हेतु सूचित किया जाय।**
10	* श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह, से0नि0 उप परियोजना निदेशक, आत्मा, अररिया, बिहार। * आवेदक दिनांक-31.07.2014 को उप परियोजना निदेशक, आत्मा से से0नि0 हुए है। आवेदक के अनुसार उनकी सेवाकाल की अवधि नियमित रही है। इसके बाद भी कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-5862 दिनांक-01.08.2008 द्वारा उन्हें मात्र प्रथम वित्तिय उन्नयन का लाभ दिया गया है। जबकि **द्वितीय-तृतीय वित्तिय**	* प्रधान सचिव, कृषि विभाग के द्वारा समिति को सूचित किया गया कि आवेदक का कृषि निदेशालय के पत्रांक-49 दिनांक 18.01.2017 के द्वारा उनके अधीनस्थ सेवाकाल के द्वितीय एम0ए0सी0पी0 की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा इसी सेवा प्रोन्नति के उपरांत इन्हें तृतीय तृतीय एम0ए0 सी0पी0 की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

	का लाभ अब तक उन्हें नहीं दिया गया है।	इस संबंध में समिति द्वारा आवेदक के तृतीय वित्तिय उन्नयन का लाभ संबंधी दावा के संबंध में शीघ्र कार्रवाई हेतु कृषि विभाग को निर्देश दिया गया। तद्नुसार अभ्यावेदन निष्पादित।
11	* डा. ऋषभ चन्द्र जैन, निदेशक प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली। * आवेदक की नियुक्ति अधिसूचना सं0-2/पी-13-12/82 प्रा0शि0-698 दिनांक-29.11.1994 द्वारा बिहार शिक्षा सेवा वर्ग-2 में प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली में व्याख्याता के पद पर हुई थी। जिस पर उनके द्वारा दिनांक-01.12.1994 को योगदान दिया गया। इसी संस्थान में निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु BPSC, पटना द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं0-07/2003 के आलोक में उनकी नियुक्ति विभागिय अधिसूचना सं0-01/न0-01/2004 ऊ0शि0-1767 दिनांक-07.12.2004 के माध्यम से वेतनमान 8000-13500/- रु0 में हुई जिस पर आवेदक द्वारा दिनांक-09.12.2004 को योगदान दिया गया। आवेदक के अनुसार निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु BPSC द्वारा प्रकाशित विज्ञापन सं0-07/2003 के अनुसार उन्हें पूर्व पद पर प्राप्त हो रहे वेतन का **वेतन संरक्षण का लाभ** मिलना चाहिए था, जो उन्हें अब तक अप्राप्त है।	* आवेदक द्वारा किये गये दावे के संबंध में समिति द्वारा सम्युक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि चूंकि आवेदक उसी संस्थान में पूर्व से कार्यरत थे अतएव उन्हें पूर्व पद पर प्राप्त हो रहे वेतन का वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाय। **समिति द्वारा आवेदक को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु शिक्षा विभाग को शीघ्र कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया गया।**
12	* डा0 उर्मिला कुमारी, पुराभिलेखापाल, बिहार राज्य अभिलेखागार, बिहार, पटना। * आवेदिका के अनुसार उनकी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समादेश याचिका सं0-4110 /1991 एवं सिविल रिव्यू सं0-158/1992 के न्यायादेश के आलोक में हुई थी। **आवेदिका द्वारा उनकी वरीयता सूची का पुनर्निधारण करने एवं बिहार राज्य अभिलेखागार, पटना में सहायक अभिलेख निदेशक के पद पर पदस्थापित करने का अनुरोध किया गया है।**	* आवेदिका द्वारा उपलब्ध कराये गये तथा प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा रखे गये तथ्यों में निम्नलिखित बातें समिति के समक्ष स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई:- - बिहार राज्य अभिलेखागार के लिए 1990 में पुराभिलेखपाल/शोध सहायक/ सहायक पुराभिलेखपाल की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया। - 31/05/1991 को बिहार लोक सेवा आयोग से श्रीमती प्रतिभा कुमारी एवं श्री उदय कुमार ठाकुर की अनुशंसा प्राप्त हुई। - श्रीमती प्रतिभा कुमारी एवं श्री उदय कुमार ठाकुर वरीयताक्रम में 11/06/1991 को अपना योगदान बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय में दिया। - दो वर्षों के बाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में श्रीमती प्रतिभा

कुमारी को अनुशंसा को निरस्त करते हुए डा0 उर्मिला कुमारी की अनुशंसा दिनांक 07/11/1992 को की गयी।

- डॉ उर्मिला कुमारी की नियुक्ति तिथि 01/02/1993 को बिहार राज्य अभिलेखागार निदेशालय में अपना योगदान दिया।

- अतएव डॉ0 उर्मिला कुमारी की नियुक्ति तिथि 01/02/1993 है और श्री उदय कुमार ठाकुर की नियुक्ति की तिथि 11/06/1991 है। स्पष्टत: श्री उदय कुमार ठाकुर की सेवा लगभग दो वर्ष पूर्व से है।

- 1996 में नियुक्ति तिथि के आधार पर वरीयता सूची निर्गत की गयी जिससे डॉ0 उर्मिला कुमारी को श्री उदय कुमार ठाकुर के नीचे दर्शाया गया जिसके विरुद्ध कोई आवेदन डॉ0 उर्मिला कुमारी के द्वारा नही दिया गया।

- अंतिम रूप में दिनांक-05/11/2010 को पुराभिलेखपाल संवर्ग के कार्मिकों की वरीयता सूची अंतिम रूप में निर्गत की गयी जिसके विरुद्ध भी इनका कोई अभ्यावेदन कार्यालय को प्राप्त नही हुआ।

- नियुक्ति तिथि एवं संतोषजनक सेवा के आधार पर उनकी नियुक्ति तिथि दिनांक 01/02/1993 से मानते हुए प्रथम वित्तीय उन्नयन एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ भी उन्हें दिया गया। परंतु उसके विरुद्ध इन्होंने कोई शिकायत नही की। जबकि श्री उदय कुमार ठाकुर को यह लाभ उनकी नियुक्ति तिथि 11/06/1991 को मानकर दी गयी।

- समिति ने उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पाया कि दिनांक-01/02/1993 के पूर्व की तिथि से डॉ उर्मिला कुमारी जो सरकारी सेवा में नही थी उन्हें सरकारी सेवा में न होने के पूर्व वरीयता का लाभ देना नियम संगत नहीं है।

- विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा CWJC No.-6754/1991 (अनिल कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में पारित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि आवेदिका के मामले की तरह ही उक्त मामले में यह अभिनिश्चित किया जा चुका है कि नौकरी में आने के पूर्व की तिथि से किसी

		का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। - समिति विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त न्यायादेश के आलोक में आवेदिका के मामले का विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि उनकी अपनी नियुक्ति की तिथि दिनांक-01/02/1993 के पूर्व से वरीयता का दावा युक्तिसंगत नहीं है। उनका यह दावा अमान्य योग्य है। - साथ ही आवेदिका का सहायक अभिलेख निदेशक, पटना के पद पर पदस्थापन का दावा भी समिति अमान्य योग्य पाती है, क्योंकि उपलब्ध तथ्यों के आलोक में वे श्री उदय कुमार ठाकुर से कनीय है। यद्यपि समिति पाती है कि विभाग ने उनके आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए, उन्हें बेतिया में रिक्त सहायक अभिलेख निदेशक के पद पर योगदान देने का आदेश दिया है। **अतएव उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आलोक में आवेदिका द्वारा किये गये दावे को आधारहीन पाते हुए उसे अस्वीकृत करने का निर्णय लेती है। अस्वीकृत।**
13	* श्री बसंत कुमार सिंह, से0नि0 महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी। * बिहार उद्योग सेवा समवर्गीय पद पर संयुक्त उद्योग निदेशक वेतनमान 12000-16000/- रु0 में प्रोन्नति देने के उद्देश्य से तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक-06.11.2004 को हुई थी। उक्त प्रोन्नति समिति द्वारा आवेदक के संबंध में अनुशंसा किया गया कि चारित्रिक गोपनीय अभियुक्तियाँ/लोकायुक्त का स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रोन्नति पर विचार नहीं किया जा सका। इस संबंध में आवेदक का कहना है कि समिति द्वारा की गई अनुशंसा नियमानुकूल नही है। आवेदक द्वारा दिनांक-06.11.2004 के प्रभाव से **संयुक्त निदेशक के पद पर वेतनमान 12000-16500/- में रोक कर रखी गई उनकी प्रोन्नति को विमुक्त करते हुए उन्हें प्रोन्नति प्रदान किया जाय।** आवेदक दिनांक-30.06.2007 को महाप्रबंधक के पद से बार्ध्यक सेवा निवृत हो चुके है।	* **आवेदक के दावे पर सम्यक विचारोपरांत समिति के द्वारा उद्योग विभाग को यह निर्देश दिया गया कि आवेदक से संबंधित संचिका सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराकर आवेदक के दावे के संबंध में पुनः परामर्श प्राप्त करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई की जाए। तद्नुसार अभ्यावेदन निष्पादित।**

14	* श्री विरेन्द्र कुमार साहू, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रजौली, नवादा। * गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार की अधिसूचना सं0-3896 दिनांक-05.06.2015 द्वारा निगरानी थाना काण्ड सं0-042/2015 दिनांक-29.05.2015 में दर्ज प्राथमिकी में आवेदक के अभियुक्त बनाये जाने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत् आवेदक को निलंबित कर दिया गया एवं उनका मुख्यालय पुलिस उपमहानिरीक्ष का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ निर्धारित किया गया है। साथ ही गृह (आ)विभाग के पत्रांक-3580 दिनांक-06.05.2016 द्वारा आवेदक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरंभ करने की सूचना दी गई जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था) को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। निलबंन की तिथि दिनांक-05.06.2015 के लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी विभागीय कार्रवाई का निष्पादन नहीं हो सका है। आवेदक द्वारा **उन्हें निलंबन से मुक्त करने हेतु** आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।	* **आवेदक के दावे पर सम्यक विचारोपरांत समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उनका मामला ट्रैप केस से जुड़ा एक गंभीर मामला है। अत: जब तक विभागीय कार्रवाई पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक उन्हें निलंबन से मुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित विभाग आवेदक के विरुद्ध लंबित विभागीय कार्रवाई को शीघ्र पूरा करे। तद्नुसार अभ्यावेदन निष्पादित।**
15	* श्री सुरेन्द्र सिंह, संकलक, प्रकाशन प्रशाखा, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना। * CWJC No.11739/1997 सुरेन्द्र सिंह बनाम बिहार राज्य अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-05.02.2015 को आवेदक के पक्ष में न्यायादेश प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुपालन हेतु आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है। आवेदक के अनुसार उक्त **न्यायादेश के अनुपालन** हेतु उनके द्वारा दिनांक-25.05.2016 को मुख्य सचिव, बिहार के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया है जिस पर अब तक अन्तिम विनिश्चय होना लंबित है।	* संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि विभागीय ज्ञापांक-6959 दिनांक- 07.12.16 के माध्यम से आवेदक के दावे पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना को निदेश दिया गया है। जिस पर कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है। **इस संबंध में समिति द्वारा योजना एवं विकास विभाग को निर्देश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आवेदक के संबंध में पारित आदेश का अनुपालन तीन माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय। तद्नुसार अभ्यावेदन निष्पादित।**
16	* श्रीमती मनतुरनी देवी, पति स्व0-ब्रजनन्दन तिवारी, सेवानिवृत सहायक, अनुमंडल कार्यालय, किशनगंज, बिहार। * आवेदिका के पति स्व0-ब्रजनन्दन तिवारी दिनांक-31. 01.1994 को सहायक के पद से सेवानिवृत हुए। आवेदिका के अनुसार अबतक उनके **पूर्ण जी0पी0एफ0 का भुगतान नहीं हो पाया है।** इस संबंध में आवेदिका द्वारा दिनांक-04.01.2013 को वित्त विभाग के	* प्रधान सचिव, वित्त विभाग के द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग के पत्रांक-275 दिनांक-17.01.17 द्वारा सूचित किया गया है कि आवेदिका के दावे के संबंध में निदेशक, भ0नि0नि0, वित्त विभाग के द्वारा पत्रांक-267 दिनांक-17.01.17 के माध्यम से सकारण आदेश पारित कर दिया गया है।

	समक्ष आवेदन समर्पित किया गया था। परन्तु अबतक उनके अभ्यावेदन का निष्पादन नहीं हो पाया है।	**इस संबंध में समिति द्वारा वित्त विभाग को निर्देश दिया गया कि आवेदक के मामले पर तीन माह के अन्दर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित किया** जाय। तद्नुसार अभ्यावेदन निष्पादित।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रधान सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग।

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग।

प्रधान सचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

प्रधान सचिव,
गृह विभाग।

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग।

सचिव,
विधि विभाग,
बिहार।

अपर सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

अपर सचिव,
उद्योग विभाग।

अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग।

संयुक्त सचिव,
योजना एवं विकास विभाग।

अवर सचिव,
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

बिहार सरकार
विधि विभाग

ज्ञापांक-लि0से0-बि0रा0मु0नी0-06/2016....1133..../जे0, दिनांक -1-3-17

प्रतिलिपिः- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग/प्रधान सचिव, गृह विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/अपर सचिव, उद्योग विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग/अवर सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा
सरकार के सचिव, बिहार।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–लि0से0–बि0रा0मु0नी0–06/2016........1133........./जे0, दिनांक –...1–3–17

प्रतिलिपिः– श्री अवध प्रसाद, से0नि0 प्रधान आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एवं अन्य/डॉ0 (श्रीमती) विनोद कुमारी शर्मा, से0नि0 क्षेत्रीय मलेरिया पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा सम्प्रति मुहल्ला–थाना रोड, भगवान बाजार, डाकघर–छपरा, सारण (बिहार) पिन कोड–841301/श्री राज कुमार, वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी, आग्नेयास्त्र प्रशाखा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला/डॉ0 शैलेश कुमार, स्टाफ, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, पशुपालन, सारण क्षेत्र, छपरा/श्री बालमिकी लाल, से0नि0 आप्त सचिव, गृह विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना) सम्प्रति– काठ का पुल, गुलजारबाग, पटना सिटी–800008/श्री शाहिद अख्तर, लेखापाल, कोषागार कार्यालय, सारण, छपरा/श्री दयानंद महतो, से0नि0 आप्त सचिव, रोड नं0–3, पूर्वी पटेल नगर, पटना–800023/डॉ0 ललन प्रसाद यादव, से0नि0 एसोसिएट प्रोफेसर, सम्प्रति मुहल्ला–छोटा तैलपा, गाँधी चौक, डाकघर–छपरा, जिला–सारण (बिहार)–841301/श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह, से0नि0 उप परियोजना निदेशक, आत्मा, अररिया, ग्राम–अवधपुरा, पो0–गुल्टेनगंज, जिला–सारण, छपरा–841211/ डॉ0 ऋषभचंद्र जैन, निदेशक, प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली (बिहार)/डॉ0 उर्मिला कुमारी, पुराभिलेखापाल, बिहार राज्य अभिलेखागार, बिहार, पटना/श्री बसंत कुमार सिंह, से0नि0 महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी, सम्प्रति– ग्राम–परासर सदन, शक्ति नगर, पूर्वी प्रभुनाथ नगर, डाकघर–टांड़ी, जिला–सारण, बिहार–841302/श्री विरेन्द्र कुमार साहु, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, रजौली, नवादा, सम्प्रति निलंबित मुख्यालय, पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय, पूर्णियाँ/श्री सुरेन्द्र सिंह, संकलक (प्रकाशन प्रशाखा) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना/श्रीमती मनतुरनी देवी, पति स्व0 ब्रजनंदन तिवारी, मारकन कॉलोनी, डेहरिया, जिला–कटिहार, बिहार–854105 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक–लि0से0–बि0रा0मु0नी0–06/2016........1133........./जे0, दिनांक –...1–3–17

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।